

दिनांक 17 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

नई निर्यात प्रोत्साहन योजना

4062. श्री वी.के. श्रीकंदन:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि सरकार भारत से व्यापारिक सामग्री निर्यात की विद्यमान योजना के स्थान पर माल-खेपों की एक नई निर्यात-प्रोत्साहन योजना लाने पर विचार कर रही है जो विश्व व्यापार संगठन के मानदण्डों के अनुसार होगी;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या यह भी सच है कि निर्यातक भारत से व्यापारिक सामग्री निर्यात योजना (एमईआईएस) से बहुत खुश नहीं थे; और
- (घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख): जी, हां। सरकार अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम, निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल स्कीम, भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात की स्कीम (एमईआईएस) और भारत से सेवा निर्यात स्कीम (एसईआईएस) जैसी विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों को कार्यान्वित कर रही है और बदलती हुई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन स्कीमों की नियमित समीक्षा/उनमें सुधार करती है। इस कार्य में, जब भी आवश्यक हो, डब्ल्यूटीओ शर्तों का अनुपालन जैसे संबंधित विलेखणात्मक मुद्दों का समुचित मूल्यांकन शामिल है।

(ग) और (घ): निर्यातकों से एसा कोई फीडबैक प्राप्त नहीं हुआ है।
